-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना गिरवां क्षेत्र में वर्ष-2023 में बांका से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्तों को दिलाई गई आजीवन कारावास व कुल 52 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना गिरवां क्षेत्र में बांका से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 52 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बण्डे में दिनांक 18.06.2023 को रामकिशोर, कंजीलाल, बिहारी व अमर द्वारा एक व्यक्ति पर बांका से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के पत्नी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना गिरवां में मु0अ0सं0 134/23 धारा 307//323/504/506 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री संदीप तिवारी द्वारा धारा 302/34/323/504/506 भादवि में सम्पादित की गई। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 18.09.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री देवदत्त मिश्रा द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी रजनीकान्त तथा पैरोकार आरक्षी प्रदीप सतोईया के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व कुल 52 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **रामकिशोर पुत्र रामदेव निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।**
2. **कंजीलाल पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।**
3. **बिहारी पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।**
4. **अमर पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बण्डे थाना गिरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।**